न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

उपस्थितः– श्वेता दीक्षित (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP01645)

सत्र परीक्षण सं०– 1596/2022

सरकार बनाम जबर सिंह।

दिनांकः– 30.05.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पत्रावली प्रार्थनापत्र 11 ख अंतर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० आदेशार्थ नियत है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 11ख अंतर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० इस आशय का दिया गया कि उक्त केस में वादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखवाया है कि "आज दिनांक 07.09.2022 को जबर सिंह उर्फ जेबर पुत्र जयकरण सिंह व केतन पुत्र जबर सिंह व दो–तीन अज्ञात व्यक्तियों को लेकर एक राय होकर लाठी डण्डों व सरियों से मेरे साथ मारपीट करी व मेरी बेटी के साथ छेड़खानी करी और उसे घर से खींचने का प्रयास भी किया। विरोध करने पर मेरी हत्या का प्रयास किया। मेरा गला दबाया। इस दौरान कुछ लोगों को मौके पर आता देखकर यह लोग हत्या की धमकी देकर फरार हो गये। निवेदन है कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। जबकि वादी ने अपने धारा 161 सीआर०पी०सी० के बयानों में सी०डी० नं०–2 पेज नं०– 3 में लिखा है कि "अभियुक्तगण 1– जबर सिंह उर्फ जेबर पुत्र जयकरण सिंह, 2– केतन पुत्र जबर सिंह निवासीगण ग्राम सबली, थाना– हापुड़ नगर, जिला हापुड़ व दो अज्ञात व्यक्ति पता अज्ञात द्वारा वादी के भाई सोनू के साथ घर में घुसकर लाठी डण्डों व सरियों से मारपीट करते हुए जान से मारने की नीयत से गला दबाकर चोट पहुंचाई, वादी की भतीजी कु० एम के साथ छेड़छाड़ करना, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देना बयान दिये हैं। उक्त एफ०आई०आर० झूठी है तथा रंजिशन लिखाई गयी है क्योंकि अपनी एफ०आई०आर० में वादी द्वारा अपने साथ मारपीट होना बताया है तथा अपनी पुत्री के साथ छेड़खानी करना बताया है जबकि अपने धारा– 161 सी०आर०पी०सी० के बयानों में वादी द्वारा अपने भाई सोनू के साथ घर में घुसकर लाठी डण्डे व सरियों से मारपीट करना बताया है तथा अपनी भतीजी के साथ छेड़खानी करना बताया है। दोनों ही बयान आपस में विरोधाभासी हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त एफ०आई०आर० झूठी है। पीड़िता कु० एम ने अपने धारा 161 सी०आर०पी०सी० के बयानों में सी०डी० सं०–2 पेज नं०–2 में अपने बयानों में बताया है कि 'मेरा नाम कु० एम है, मेरे पिता का नाम सोनू है। मैं गांव सबली की रहने वाली हूं। मेरी उम्र 16 वर्ष है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूं। दिनांक 07.09.2022 की शाम रात 9:30 बजे जेबर व उसका लड़का केतन व दो अन्य व्यक्ति हमारे घर आये और मेरे चाचा राजू व मेरे पिता जी सोनू के साथ मारपीट करने लगे। मैंने अपने पिता को बचाने आयी तो घर में

Digitally signed by Shweta Dixit
Date: 2023.06.02 10:50:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

घुसकर मेरे साथ बद्तमीजी की, मेरे कपड़े फाड़ दिये व मुझे बाहर की ओर खींचने लगे तथा मेरे पिता का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया, शोर मचाने पर मौहल्लेवासियों को आता देख जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। उपरोक्त पीड़िता के बयान वादी की एफ०आई०आर० व वादी के बयान धारा 161 सी०आर०पी०सी० का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि वादी द्वारा अपने बयानों में घर में घुसकर लाठी डण्डों व सरियों से मारपीट होना बताया है जबकि पीड़िता ने घर के बाहर मारपीट होनी तथा पीड़िता ने लाठी डण्डों व सरियों से मारपीट होना नहीं बताया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त आरोप पत्र का अपराध होना नहीं बनता है। आरोप पत्र में दाखिल मेडिकल पीड़िता व पीड़िता के पति का है। वादी का मेडिकल नहीं है तथा पीड़िता कु० एम का मेडिकल दिनांक 10.09.2022 को 2:10 पी०एम० पर हुआ है जिसके मेडिकल में कोई भी घोट नहीं आयी होना बताया है तथा वादी के भाई सोनू का मेडिकल दिनांक 07.09.2022 को समय 9:30 पी०एम० होना बताया है तथा एफ०आई०आर० व बयानों में घटना का समय भी दिनांक 07.09.2022 को समय 19:30 पी०एम० पर होना बताया है मेडिकल व घटना एक समय पर होनी असम्भव है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त केस में झूठा फंसाया गया है। उक्त घटना की एफ०आई०आर० सोच समझकर रंजिशन एक दिन की देरी से दिनांक 08.09.2022 को 23:22 बजे लिखाई गई है जबकि घटना दिनांक 07.09.2022 को रात करीब 9:30 बजे को होना बताया है। उक्त पत्रावली में दाखिल आरोप पत्र की सी०डी० सं०– 8 पेज नं०– 7 में विवेचक ने लिखा है कि श्रीमान जी गवाहान एवं वादी से दो–तीन अज्ञात व्यक्तियों के बारे में जानकारी की गई तो बताया कि साहब ऐसी जानकारी मिली है कि जेबर एवं उसका पुत्र केतन दोनों ही घटना में शामिल थे, अन्य व्यक्ति गांव के आने जाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, अन्य व्यक्तियों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा जानबूझकर उक्त झूठी घटना बनाते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया है क्योंकि वादी द्वारा अपनी एफ०आई०आर० में दो–तीन व्यक्ति अज्ञात होना बताया है जबकि बाद में विवेचक महोदय को उक्त अज्ञात व्यक्तियों को गांव में आने जाने वाले व्यक्ति बताया है। विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के बेटे केतन का नाम उक्त केस में अभियुक्त न पाते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, क्योंकि घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त का पुत्र केतन सुपर ग्रीन विलेज मेरठ के फ्लैट नं०– एच–1409 में उपस्थित था, जिसकी सी०सी०टी०वी० फुटेज को सी०डी० में कराकर अपनी जमानत प्रार्थना पत्र में भी लगाया है जो पत्रावली पर मौजूद है तथा विवेचक ने भी उक्त सी०सी०टी०वी० फुटेज की कॉपी सुपर ग्रीन विलेज मेरठ से निकलवायी है, जिसके आधार पर विवेचक महोदय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्र केतन का नाम क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त व उसके पुत्र केतन के विरूद्ध झूठी एफ०आई०आर० दर्ज करायी है और पत्रावली पर ऐसा कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया

है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त घटना को अपने पुत्र व तीन अज्ञात लोगों के द्वारा की हो। इस आधार पर भी प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त केस से उन्मोचित किया जाना अति आवश्यक है। वास्तविकता यह है कि वादी मुकदमा द्वारा जबर सिंह ने लोकडाउन के समय करीब 40 हजार रूपये उधार लिये थे जिनको प्रार्थी/अभियुक्त जबर सिंह वादी से काफी समय से मांग रहा था जिसको लेकर अभियुक्त ने प्रार्थी को पुलिस में कार्यवाही करने की धमकी दी थी और बाद में उक्त फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है। अभियोजन द्वारा उक्त केस में प्रस्तुत एफ०आई०आर० आरोप पत्र व सी०डी० में दर्ज वादी, गवाह सोनू, पीड़िता कु० एम के बयानों में आये विरोधाभास से तथा वादी के भाई सोनू का मेडिकल घटना के समय यानी दिनांक 07.09.2022 को रात 9:30 बजे पी०एम० पर होना तथा घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्र केतन का सुपर ग्रीन विलेज मेरठ के फ्लैट नं०– एच–1409 में उपस्थित होना और उक्त घटना में केवल प्रार्थी/अभियुक्त जबर सिंह द्वारा कारित होना दिखाया है, जिनके अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये पत्रावली पर पर्याप्त आधार/साक्ष्य मौजूद नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त केस में उन्मोचित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त आधारों पर अंतर्गत धारा 227 सीआर०पी०सी० में प्रार्थी/अभियुक्त को पत्रावली में प्रस्तुत समस्त प्रपत्रों का अवलोकन कर उन्मोचित करने की कृपा करें।

प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अभियुक्त को उन्मोचन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त द्वारा उन्मोचन का मुख्य आधार यह लिया गया है कि तथा एफ०आई०आर० व बयानों में घटना का समय दिनांक 07.09.2022 को समय 09:30 पी०एम० बताया है तथा वादी के भाई सोनू का मेडिकल भी दिनांक 07.09.2022 को समय 9:30 पी०एम० होना बताया है। मेडिकल व घटना एक समय पर होनी असम्भव है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त केस में झूठा फंसाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा द्वारा दर्ज करायी गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का समय अंकित नहीं है, जबकि वादी मुकदमा व उसकी पुत्री की हुई चिकित्सीय परीक्षण आख्या में समय अंकित है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं मेडिकल परीक्षण एक ही समय का है। वादी मुकदमा की चिकित्सीय परीक्षण आख्या का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा को 5 चोटें दर्शायी गयी हैं, जो कि संवेदनशील एवं नाजुक अंगों के आस–पास हैं। वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "जबर सिंह उर्फ जेबर व केतन व दो–तीन व्यक्तियों को लेकर एक राय होर लाठी डण्डों

व सरियों से मेरे तथा मेरे भाई सोनू के साथ मारपीट करी व मेरी भतीजी कु० एम के साथ छेड़छाड़ करी और उसे घर से खींचने का प्रयास भी किया। विरोध करने पर मेरी तथा मेरे भाई की हत्या का प्रयास किया।" इसी प्रकार पीड़िता कु० एम द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "जेबर व उसका लड़का केतन व दो अन्य व्यक्ति हमारे घर में घुस आये और मेरे चाचा व पिताजी के साथ मारपीट करने लगे। मैं अपने पिताजी को बचाने आयी तो मेरे साथ बद्तमीजी की, मेरे कपड़े फाड़ दिये। मेरे पिता का गला दबाकर जाने से मारने का प्रयास किया।" इस प्रकार वादी मुकदमा एवं पीड़िता कु० एम द्वारा अपने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयानों में घटना का एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया गया है।

जहां तक अभियुक्त द्वारा अपने उन्मोचन प्रार्थना पत्र में लिये गये आधार कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं मेडिकल का समय एक ही है तथा वादी मुकदमा एवं पीड़िता के बयानों में विरोधाभास है, का प्रश्न है, उक्त तथ्य साक्ष्य से संबंधित है एवं आरोप विरचन के समय अभियोजन प्रपत्रों का प्रथम दृष्टया अवलोकन किया जाता है। इस प्रकार अभियुक्त को उन्मोचित/डिस्चार्ज किये जाने का कोई आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्त जबर सिंह उर्फ जेबर के विरुद्ध अंतर्गत धारा 452, 323, 307, 354, 354 ख, 506 भा०दं०सं० व 7/8 पोक्सो अधिनियम के तहत आरोप विरचित किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एस०ईशर सिंह ए०आई०आर० 1993 एस०सी० 1374** में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है जहां न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह विश्वास होता है कि अमुक धारा में आरोप विरचित किए जाने के आधार उपलब्ध हैं तो ऐसे मामले में अभियुक्त को उपरोक्त अपराध से उन्मोचित किया जाना उचित नहीं होगा।

भारत पारिक बनाम सी०बी०आई० 2008 सी०आर०एल०जे० 3540 सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप विरचित किए जाते समय न्यायालय को विवेचना एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों का ही परिशीलन किए जाने की आवश्यकता है।

दिल्ली राज्य बनाम ज्ञान देवी एवं अन्य 2001 (42) ए०सी०सी० 39 एस०सी० में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप विरचित किये जाने के स्तर पर विचारण न्यायालय को विस्तरित रूप से प्रत्येक साक्ष्य का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र यह देखा जाना है कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है अथवा नहीं।

कल्पना नाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2011 (2) ए०एल०जे० (एन०ओ०सी०) 227 इलाहाबाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है आरोप विरचित करते समय मात्र विचारण न्यायालय को यह देखना है कि प्रथम दृष्टया आरोप विरचित किये जाने के आधार उपलब्ध है अथवा नहीं। साक्ष्यों का अत्यधिक मूल्यांकन अथवा विस्तरित कारण दर्शित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

विधि व्यवस्था **सचिन सक्सैना उर्फ लकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 (2) ए०सी०सी० पेज 454 क्रिमिनल** तथा **स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम देवेन्द्रनाथ आदि 2009 (5) ए०सी०सी० पेज 209 एस०सी०** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि आरोप विरचन के समय न्यायालय केवल अन्वेषण ऐजेन्सी के द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर ही विचार कर सकता है। अन्य समस्त तथ्य विचारण के समय प्रासंगिक है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में, उभय पक्षों को सुनने के उपरांत, माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं का ससम्मान अवलोकन करने व पत्रावली के इस स्तर पर अनुशीलन करने के उपरांत न्यायालय यह पाती है कि पत्रावली में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया 452, 323, 307, 354, 354 ख, 506 भा०दं०सं० व 7/8 पोक्सो अधिनियम का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है तथा अभियुक्त के विरूद्ध 452, 323, 307, 354, 354 ख, 506 भा०दं०सं० व 7/8 पोक्सो अधिनियम का आरोप विरचित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 11 ख अंतर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। अभियुक्त जबर सिंह उर्फ जेबर के विरूद्ध धारा 452, 323, 307, 354, 354 ख, 506 भा०दं०सं० व 7/8 पोक्सो अधिनियम का आरोप विरचित हेतु पत्रावली दिनांक 23.06.2023 को पेश हो।

दिनांक- 30.05.2023

(श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।